FORM No. III

App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

कन्हैया लाल बैरागी बनाम धोला व गुर्जर

नाम मुकदमा 111, 128 LR Act नं. 89 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/3/21	वकील प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विरूद्ध विपक्षी गण पेश किया गया । प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 6/4/21 को पेश हो ।	
6.4.21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश पर पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अग्रिम पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/6/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
15/6/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश पर पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अग्रिम पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 17/8/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
17/8/21	वकील कर्ता उपस्थित / नोटिस वापस तामील रूपक पर प्राप्त न होने एवं विधि अनुसार तामील न होने पर प्रतिवादीगणों को नोटिस पुनः जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:55 IST
Reason: SelfAttested

1.9.21 वकील वादी उपस्थित। नोटिस बाद तामील समय पर प्राप्त न होने एवं विधि अनुसार तामील न होने पर प्रतिवादीगणों को नोटिस पुनः जारी हो पत्रावली बाद तामील वास्ते जवाब दिनांक 23.12.21 को पेश हो।

[illegible]

21.1.22 पत्रावली आज दिनांक 21.1.22 को प्रार्थना पत्र के साथ अभिलेख [illegible] में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की कृषि की पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है एवं पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की है अतः पत्रावली आपसी सहमति से निर्णीत की जाती है। [illegible] निर्णय पृथक से लिखवा [illegible] किया गया। पत्रावली कैम्प मुख्यालय होकर [illegible] हो।

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

सं0 – 89 / 2021

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता रामपालदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गणेशदास पिता रामपालदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. प्रेम पुत्री रामपालदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बृजदास पिता मगनदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. मदनदास पिता मगनदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. रामचन्द्र पिता मगनदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. रामप्यारी पत्नि रामपालदास नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. सीताराम पिता मगनदास बैरागी नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

———— (प्रार्थी गण)

बनाम

1. दोला पिता सुखा गुर्जर नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भील़वाड़ा
2. देबी पिता हजारी गुजर नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सोहन पिता गंगाराम रेगर नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. शंकर पिता गंगाराम रेगर नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. हरदेव पिता गंगाराम रेगर नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पिता बालु दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. गोपाल पिता कालू दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. रामदयाल पिता कालु दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. बंशी पिता कालु दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. महावीर पिता कालु दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. मोहन पिता राधाकिशन दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. रामपाल पिता सुखा माली नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13. काना पिता सुखा माली नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14. बंशीलाल पिता सुखा माली नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15. रामप्रसाद पिता रामचन्द्र दरोगा नि0 रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16. आईसीआईसीआई बैक शाखा सुभाषनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाडा
17. बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा ... जिला भीलवाडा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————(अप्रार्थी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0 अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.

: : निर्णय : :

दिनांक – 22.11.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 16.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 243 के आ0न0 1496 , 1497 , 1506 , 1507 , 1508 , 2291 / 1854 ,कुल किता 06 **रकबा 2.8580 हैक्टेयर** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 22.11.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने व प्रतिवादी गण द्वारा सहमति व्यक्त की हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 243 के आ0न0 1496 , 1497 , 1506 , 1507 , 1508 , 2291 / 1854 ,कुल किता 06 **रकबा 2.8580 हैक्टेयर** भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 1200/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवांई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प बनेडा मे सिरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:55 IST
Reason: SelfAttested